न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर,आर.ए.एस.

उनवान

तोताराम वगैरा बनाम पतिराम वगैरा

1. तोताराम पुत्र ग्यासिया
2. रामस्वरूप पुत्र ग्यासिया
3. रामजीलाल पुत्र ग्यासिया
4. पतिराम पुत्र ग्यासिया
5. अशोक कुमार पुत्र ग्यासिया जाति जाटव निवासी झिरी तहसील सरमथुरा

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. पतिराम पुत्र पनुआ
2. सरवन पुत्र पनुआ
3. हलुका पुत्र पनुआ
4. छुट्टन पुत्र पनुआ
5. भरोषी पुत्र पनुआ जाति कोली निवासी भम्पुरा तहसील सरमथुरा
6. जशोदा पुत्र पनुआ पत्नि .... जाति कोली निवासी बाला का तोड तहसील सबलगढ जिला मुरैना
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्याः- 04/2016

दिनांकः- 28.8.2018

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस प्रकार पेश हुआ कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नंबर 1922 रकबा 2.08 हैक्टैयर स्थित ग्राम झिरी तहसील सरमथुरा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खातेदारी के खेत पर आने-जाने के लिये हमेशा से झिरी सरमथुरा रोड से कदीमी रास्ता है जो अप्रार्थीगण के खेत आराजी ख.नम्बर 1904, 1905 व 1899 की पूर्वी मेढ तथा सरकारी ख.नं. 1900 की पश्चिमी मेढसे होता हुआ प्रार्थी के उपरोक्त खेत तक आता है जो करीब 10फीट चौडा था जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व उसके पूर्वज करते चले आये हैं। इसे करीब 2-3 साल से अप्रार्थीगण ने अपने उपरोक्त खेतों को मिला लिया है तथा दिनांक 16.6.16 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत को आने-जाने वाले रास्ते में सडक सहारे कोटरी बनाकर रोक दिया है। इसके संबंध में प्रार्थीगण ने अनेकों बार अप्रार्थीगण से निवेदन किया है लेकिन वे रास्ताा देने को तैयार नहीं हैं जबकि इस रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे है। अपने खेत पर आने-जाने, खाद बीज करब फसल इत्यादि लाने ले जाने के काम में लेते रहे है फिर भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के आने-जाने के रास्ते को समाप्त कर दिया है जिससे प्रार्थीगण के खेत से सडक तक पहुँचने का रास्ता समाप्त हो गया है और प्रार्थीगण अपने खेत में सही ढंग से काश्त नहीं कर पा रहे है। परिणामस्वरूप फसल कम हो रही है। खेत के लिये खाद बीज लाने व फसल व चारा इत्यादि ले जाने के लिये सडक तक सिर पर ढोकर लाना ले जाना पड रहा है।

वादग्रस्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास उसके खेत तक आने-जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण के सडक झिरी-सरमथुरा से प्रार्थीगण के खेत ख.नंबर 1922 तक के लिये अप्रार्थीगण के खेतों की पूर्वी भुजा से करीब 10 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा उक्त रास्ता प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। रास्ता नहीं मिलने की स्थिति में प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी।

प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत ख.नंबर 1922 रकबा 2.08 हैक्टेयर स्थित ग्राम झिरी तहसील सरमथुरा के लिये झिरी-सरमथुरा सडक मार्ग से अप्रार्थीगण के खेत ख.नंबर 1904, 1905 व 1899 की पूर्वी मेढ तथा सरकारी ख.नंबर 1900 की पश्चिमी मेढ के सहारे 10फीट चौडा रास्ता दिलवाने तथा उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कराने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। भूमिधारी तहसीलदार सरमथुरा से मौके एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार सरमथुरा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रकरण में खातेदारी भूमि ख.नं. 1922 के लिये रास्ता चाहा गया है जो ख.नं. 1904, 1905, 1899 व 1900 में से होता हुआ गुजरता है। ऐसा प्रार्थीगण द्वारा बताया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बरान के साथ ही ख. नं.1901 एवं 1902 भी उक्त रास्ता देने से प्रभावित हो रहे है। उक्त वांछित रास्ता से प्रभावित खसरा नम्बरान का का रकबा एवं उसकी डीएलसी दर से कुल राशि निम्नानुसार है -

क्र. सं.	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टे.में)	प्रभावित रकबा (व. फीट में)	प्रभावित रकबा की राशि	नाम खातेदार
1.	1899	0.43	1188	2647.63	पतिराम, सरवन, हलुका, छुट्टन, भरोसी पुत्रगण व जशोदा पुत्री पनुआ कौम कोली नि.भम्पुरा
2.	190	0.19	594	1323.70	सिवायचक
3.	1901	1.38	1419	3162.48	रामदयाल, जगनू पुत्रगण व माया, द्रोपती, सिमौती पुत्रियान गुल्ला कौम जाटव नि.झिरी
4.	1902	0.21	1155	2574.01	पतिराम, सरवन, हलुका, छुट्टन, भरोसी पुत्रगण व जशोदा पुत्री पनुआ कौम कोली नि.भम्पुरा
5.	1904	0.15	594	1323.70	पतिराम, सरवन, हलुका, छुट्टन, भरोसी पुत्रगण व जशोदा पुत्री पनुआ कौम कोली नि.भम्पुरा
6.	1905	0.46	924	2059.16	नेकराम,रामफूल पिस.चण्टोली व लीला, रामपति, श्रीका पुत्रियान चण्टोली कौम जाटव निवासी झिरी

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार सरमथुरा की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण तहसीलदार सरमथुरा द्वारा किये आंकलन के अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम दुगुनी राशि के बैंकर्स चैक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार कराकर न्यायालय में जमा करावें तथा सिवायचक भूमि की राशि को जरिये चालान राजकोष में जमा करावें। साथ ही तहसीलदार सरमथुरा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्तानुसार बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट इस न्यायालय में जमा कराने पर प्रार्थीगण को आप द्वारा प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार उपलब्ध कराया जावें।

निर्णय आज कोर्ट कैम्प में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा